न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 76/2013

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. चुन्नीलाल गोदीपुत्र मगाराम		1. हरीराम पुत्र भोमाराम मेघवाल
2. मृतक वेनाराम पुत्र चोलाराम के का0मु0		2. केवलराम पुत्र पुखाराम जाति गुरू
2.1 हीरी पत्नी वेनाराम		3. जैपाराम पुत्र मुगनाराम जाति मेघवाल
2.2 मृतक भंवर पुत्र वेनाराम के का0मु0		4. नारायणलाल पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल
2.2.1 देवी पत्नी भंवर		5. मांगीलाल पुत्र मूलाराम जाति सरगरा निवासीगण खारिया सोड़ा
2.2.2 महेन्द्र पुत्र भंवर (नाबालिग)		6. प्रेम पुत्री भंवर पत्नी शंकरजी जाति जाट निवासी रेन्दडी
2.2.3 कैलाश पुत्र भंवर (नाबालिग)		7. मैना पुत्री भंवर पत्नी सुरेश जाति जाट निवासी रेन्दडी
2.2.4 सोनी पुत्री भंवर (नाबालिग) नाबालिग जरिये कुदरती वली माजा देवी पत्नी भंवर		8. सीता पुत्री वेनाजी पत्नी मोहनजी जाति जाट निसी बाड़िया, खारची
2.3 दीपाराम पुत्र वेनाराम		9. झमकू पुत्री वेनाजी पत्नी भंवरजी जाति जाट निवासी धुन्धला तहसील मारवाड़ जंक्शन
3. तुलसी पत्नी भीकाराम		10. मोहनलाल पुत्र भानाराम
4. वचनाराम पुत्र भीकाराम		11. तुलसाराम पुत्र ढगलाराम जातिगण जाट निवासी खारिया सोड़ा तहसील सोजत
5. रामलाल पुत्र भीकाराम		12. तहसीलदार (भूमिधारी) सोजत
6. अमराराम पुत्र भीकाराम		
7. खेताराम पुत्र भीकाराम		
8. पेमाराम पुत्र भानाराम		
9. नारायणलाल पुत्र सुजाराम		
10. डायाराम पुत्र सुजाराम जातिगण जाट निवासीगण खारिया सोड़ा		

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री महेन्द्र सिघाडिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 23.8.18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2013 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट एवं उनकी तरफ से नियुक्त अधिवक्ता प्रकरण में पैरवी हेतु अनुपस्थित रहे है। अतः प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खारिया सोड़ा के खसरा नम्बर 19, 21, 15, 22, 436, 451, 14, 17, 20 व 414 की भूमि अपीलाण्ट्स की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। खसरा नम्बर 20 व 21 के पुराने खसरा नम्बर 10 थे। पुराने खसरा नम्बर 10 में से 17 बिस्वा भूमि गिरदावरी में श्मशान दर्ज होना बताते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 21 की सम्पूर्ण भूमि एवं खसरा नम्बर 20 में से 0.05 हैक्टेयर की भूमि श्मशान घोषित कराने एवं खसरा नम्बर 21 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 20 की माठ के सहारे सहारे 10 फीट चौडा रास्ता राजस्व रेकर्ड में तरमीम कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया एवं रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब करने के आदेश जारी किए। दिनांक 06.02.2013 को कुछ प्रतिवादीगण की ओर से श्री दुर्गाराम चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया तथा उसी दिवस शेष प्रतिवादीगण के सम्मन अखबार में प्रकाशन करने के आदेश पारित किए। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 13 फौत होने के कारण उसका नाम हटाने एवं वादी की ओर से संशोधन हेतु आवेदन पर 10 फीट के स्थान पर 15 फीट रास्ता अंकन करने के आदेश दिए गए। उसके पश्चात दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा राजीनामा की भावना से प्रकरण आगे नहीं चलाना तय किया, जिस पर उसी दिन खसरा नम्बर 21 की भूमि को श्मशान मानते हुए आवागमन हेतु खसरा नम्बर 20 व 21 की माठ के समानान्तर 15 फीट चौडा रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किए। प्रथमतः तो अधीनस्थ न्यायालय उक्त आदेश पारित करने हेतु सक्षम ही नहीं था। समस्त प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता को नियुक्त ही नहीं किया गया एवं अधिवक्ता द्वारा अपने स्तर पर ही जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया एवं राजीनामा कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। जवाबदावे पर किसी भी प्रतिवादी के हस्ताक्षर नहीं है तथा न ही प्रमाणन है। अधीनस्थ न्यायालय को श्मशान घोषित करने का अधिकार ही नहीं था एवं न ही श्मशान में जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत रास्ता दिया जा सकता था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध रूप से सम्पादित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 को लाभ पहुँचाने की नियत से जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त मेघवाल, गुरू, सरगरा समाज खारिया सोड़ा के प्रतिनिधिगण की हैसियत से वाद प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 21 रकबा 0.09 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 20 रकबा 1.9700 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर कुल 0.14 हैक्टेयर श्मसान की घोषित कराने एवं उक्त भूमि में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 20 व 21 की माठ के समानान्तर 15 फुट भूमि रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

में इन्द्राज कराने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा किए गए राजीनामा के आधार पर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जबकि समस्त प्रतिवादीगण की ओर से उन्हे अधिवक्ता नियुक्त ही नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 13 फौत होने पर उनके का0मु0 को पक्षकार संयोजित किए बिना ही विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है। इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से यह बिन्दु प्रकट होते है कि

1. क्या राजस्व न्यायालय को श्मशान घोषित करने की अधिकारिता है ?
2. क्या श्मसान में जाने हेतु रास्ते की घोषणा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत की जा सकती है ?

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.07.2013 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान कर उपरोक्त बिन्दुओं को विधिक दृष्टिकोण से निर्णित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली